न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 46/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0) (प्रार्थी)

बनाम

भीमराज पुत्र श्री धन्नालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0) (अप्रार्थी)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 21.02.2023

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल में जमाबंदी सम्वत् 2069–72 आराजी खसरा नंबर 1 रकबा 0.46 है., किस्म किस्म नहरी I अप्रार्थी खाते दर्ज है। आराजी खसरा नंबर 1 रकबा 0.46 है. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल के साबिक खसरा नंबर 1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म नहरी प्रथम एवं खसरा नंबर 5 मि. रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा से कायम हुए हैं। मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2014–23 के अनुसार ग्राम मांगरोल में साबिक खसरा नं. 1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। दौराने सेटलमेन्ट कार्य बन्दोबस्त कर्मचारियों ने आराजी साबिक खसरा नंबर 1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई के हाल खसरा नंबर 1 रकबा 0.46 है., नहरी I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से जमनालाल, भीमराज पिसरान धन्नालाल, जाति ब्राह्मण निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2069–72 अप्रार्थी के खाते दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय [illegible] के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत गै0मु0 तलाई [illegible] उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै0मु0 तलाई राज0 रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि विवादित आराजी

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.28 15:35:55 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नंबर 1 रकबा 0.24 है. अप्रार्थी के खातेदारी की आराजी है जिस पर अप्रार्थी ही काबिज काश्त है तथा उक्त आराजीयात पर मौके पर कोई गैर मुमकिन तलाई नहीं न ही वहां पर पूर्व में कभी तलाई रही हो इसके कोई निशानात मौजूद हो। तहसीलदार मांगरोल द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के आधार पर अप्रार्थी की आराजीयात को लेकर रेफरेन्स प्रस्तुत किया है जबकि उपरोक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करते हुए 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया था जिसमें उक्त कमेटी द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये थे जिनकी पालना में प्रत्येक जिले में उपरोक्त रेफरेन्स के संबंध में एक कमेटी का गठन होना था तथा उस कमेटी के निष्कर्ष के पश्चात रेफरेन्स की कार्यवाहियां प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे परन्तु तहसीलदार मांगरोल द्वारा बिना कोई ऐसी कमेटी के निष्कर्ष के मात्र पुराने राजस्व रिकार्ड को देखकर अप्रार्थी के विरूद्ध रेफरेन्स कार्यवाही पेश की है जो चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

3– बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल में जमाबंदी सम्वत् 2069–72 आराजी खसरा नंबर 1 रकबा 0.46 है., किस्म किस्म नहरी I अप्रार्थी खाते दर्ज है। आराजी खसरा नंबर 1 रकबा 0.24 है. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल के साबिक खसरा नंबर 1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 5 मि. रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा से कायम हुए हैं। मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2014–23 के अनुसार ग्राम मांगरोल में साबिक खसरा नं. 1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। दौराने सेटलमेन्ट कार्य बन्दोबस्त कर्मचारियों ने आराजी साबिक खसरा नंबर 1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई के हाल खसरा नंबर 1 रकबा 0.24 है., नहरी I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से जमनालाल, भीमराज पिसरान धन्नालाल, जाति ब्राह्मण निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल के खातेदारी में दर्ज कर दी है, तथा वर्तमान में उक्त आराजी मुताबिक जमाबंदी संवत 2069–72 अप्रार्थी के खाते दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत गै0मु0 तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै0मु0 तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

4– अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के उक्त कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान में काश्त योग्य भूमि है जिसके आस पास भी काश्त योग्य भूमि स्थित है। मौके पर कोई तलाई [illegible] तथा ऐसे कोई निशानात भी नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त भूमि तलाई [illegible] उक्त आराजी का मालिक स्वामी है तथा बहैसियत खातेदार उक्त आराजी [illegible] काश्त है। प्रस्तुत रेफरेंस में मौके की रिपोर्ट तथा किस्म बाबत् जांच नहीं की गई, एवं विधि सम्मत प्रकिया नही अपनाई गई। अतः रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

5– हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि ग्राम मांगरोल की जमाबंदी सम्वत् 2069–72

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.28 15:35:55 IST
Reason: SelfAttested

के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1 रकबा 0.46 है., किस्म किस्म नहरी I अप्रार्थी के खाते दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नंबर 1 रकबा 0.46 है. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 उक्त आराजी साबिक खसरा नंबर 1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 5 मि. रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा से कायम हुए हैं। साबिक खसरा नंबर 1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2014–23 किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। बन्दोबस्त संवत 2044–63 में ग्राम मांगरोल की उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 1 रकबा 0.46 है., नहरी I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से जमनालाल, भीमराज पिसरान धन्नालाल, जाति ब्राह्मण निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। इस प्रकार जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै0मु0 तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। जमनालाल, भीमराज पिसरान धन्नालाल, जाति ब्राह्मण निवासी मांगरोल को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

6– परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम मांगरोल में खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नंबर 1 रकबा 0.46 है. में से 0.24 है. किस्म नहरी–I को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व साबिक खसरा नंबर 1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई से बना है, जो जमनालाल, भीमराज पिसरान धन्नालाल, जाति ब्राह्मण निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

7– तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 21.02.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.28 15:35:55 IST
Reason: SelfAttested